

08-2-2021

प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित।
प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत
रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5
भारतीय मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी
द्वारा तहसीलदार, रेवदर के आदेश क्रमांक/राजस्व/2015/310-13
दिनांक 23.4.2015 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब
की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं मूल अपील
पत्रावली के साथ नत्थी हो।

8/2/2021

विरोही (पत्र.)

